फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

घनाराम S/o सोहनलाल, जाति माली, नि. बेरा डूगावा, सोजतसिटी तह.सोजत पाली।

गोपाराम S/o भंवरलाल, जाति माली नि. बेरा डूगावा, सोजतसिटी, तह सोजत पाली

किस्म मुकदमा:– राजस्व विविध प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110,111,128 एल.आर.एक्ट. 1956 मु0न0 18/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
18/01/21	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्राथीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 110,111,128 एल आर एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 10/03/21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	158 21/1/21
10/03/21	अधिवक्ता प्रार्थी उप० । अप्रार्थी सं. 1-2 की ओर से व.ना. अधि. देवेन्द्र व्यास ने पेश किया। अप्रार्थीगण के जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त, सानिक अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, ला. मि. हो पत्रावली आयन्दा दिनांक 13/04/2021 को पेश हो SDO Sojat	
13/4/21	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 28/6/21 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
28/6/21	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 12/07/21 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
12/07/2021	अधिवक्ता प्रार्थी उप० । अधिवक्ता अप्रार्थी उप० अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति अधि० प्रार्थी को दिलाई गई, ला. मि. हो जवाब वकुलाय प्रार्थना पत्र धारा 110,111, एवं 128 सुनी गयी	

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110 एवं 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया कि सोजत चक नम्बर 01 तह. सोजत में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 4999 रकबा 0.0800 हैक्टर आई हुई स्थित है। जिसके पडौस में अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 5000 रकबा 0.1200 हैक्टर आई हुई स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य हर समय मांड व धोरा पाली को लेकर विवाद होता रहता है तथा अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती अपने हक हिस्से से ज्यादा प्रार्थी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर उतारू रहता है। प्रार्थी द्वारा पैमाइश सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश किया जिस पर सम्बन्धित पटवारी द्वारा मौके पर पडौसी खातेदार द्वारा विवाद होने से सीमांकन नहीं किया जाना बताया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर मौजा सोजत चक प्रथम के ख.नं. 4999 रकबा 0.0800 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी के जरिये मुनारा लगाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं अपनी भूमि के स्वामित्व व राजस्व रेकर्ड बदस्तावेजों से साबित करे। मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 5000 रकबा 0.1200 हैक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खरीदशुदा कब्जाशुदा खातेदारी की आई हुई स्थित है जिसे दिनांक 16/03/1998 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य हर समय मांड व धोरा-पाली को लेकर विवाद होता रहता है तथा अप्रार्थीगण जोर-जबरदस्ती अपने हक हिस्से से ज्यादा प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर उतारू रहते है। प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने एवं अप्रार्थीगण की भूमि पर दखल अंदाजी करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि के पडौस में स्थित अन्य कृषि भूमि के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 4999 रकबा 0.0800 हैक्टर मौजा सोजत चक प्रथम में आई हुई स्थित है। उक्त भूमि की मेड़ को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य हर समय विवाद होता रहता है। जिस कारण प्रार्थी अपनी भूमि का सीमांकन कर मौके पर पैमाइश की जाकर पत्थर गढ़ी के जरिये मुराम लगवाये जाने हेतु इस्तगासा पेश किया।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया तथा अपनी कृषि भूमि के पड़ोस में स्थित अन्य कृषि भूमि के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया। जिसके अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन कर उभय पक्षकारान की बहस पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का जरिये पैमाइश सीमांकन करवाने तथा मौके पर पत्थर गढ़ी के जरिये मुराम लगवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी को अपनी हक सीमा में आने वाली भूमि का सही रूप से ज्ञान हो जाये तथा सीमाओं को लेकर पड़ौसी खातेदारों से अनावश्यक विवाद ना हो। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 व 128 L.R. Act स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

—::आदेश::—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 व 128 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है कि वे सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के ख.नं. 4999 रकबा 0.0800 हैक्टर जाव अव्वल की भूमि का उभय पक्षों की मौजूदगी में स्वयं, सम्बन्धित पटवारी, व भू.अ. निरीक्षक तथा एक अन्य पटवारी की टीम का

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	गमन कर मौके पर पैमाईश के जरिये (तरमीम) करे तथा पत्थरगढ़ी के जरिये मुनाम लगवाये जावें। तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रति तहरीर के साथ वास्ते पालना भेजी जावे। पत्रावली बाद पालना जेरदफा शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ रेकर्ड भण्डार जमा हो। (दौलतराम चौधरी) उपखण्ड अधिकारी सोजत उप खण्ड अधिकारी सोजत निर्णय आज दिनांक 12/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। (दौलतराम चौधरी) उपखण्ड अधिकारी सोजत उप खण्ड अधिकारी सोजत